जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 105 वीं बैठक दिनांक 21.03.20007 को मध्यान्ह पश्चात् 03.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण व एजेण्डा एजेण्डा संख्या 1 व 3 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) एजेण्डा संख्या–2 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1 उपायुक्त जोन–12 द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री मोहन लाल गुप्ता, माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री रामनिवास मीणा, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मातादीन शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे–

1. श्री नीरज तिवाडी, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट.), जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती रश्मि गुप्ता, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–स्कीमस) जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
8. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा आइटम्म संः–1

विषयः– बीपीसी (ले आउट प्लान) की 104 वीं बैठक दिनांक 23.02.2007 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि।

बीपीसी की बैठक दिनांक 23.02.2007 में निर्णित निर्णय की पुष्टि के संबंध में विचार विमर्श किया विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त जोन ने गुलमोहर लेन योजना के भूखण्ड संख्या 20–ए का नियमन बाबत् के निर्णय का जो कार्यवाही विवरण मे उल्लेख किया गया है वह बैठक में लिये गय निर्णय के अनुसार नहीं है। इसलिए इस निर्णय को निम्नानुसार पढा जावेः–

" समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात पाया गया कि 103वीं बैठक दिनांक 18.01. 2007 में लिये गये निर्णय अनुसार भूखण्ड संख्या 20–ए से सडक हेतु समर्पित करवाये जाने के पश्चात् भूखण्ड में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिल पा रहा है। अतः समिति द्वारा सर्व सम्मति से भूखण्ड संख्या 20–ए के फ्रन्ट सैटबैक में 20' के स्थान पर 15' का रिलेक्सेशन एवं आवश्यकतानुसार अन्य सेटबैक कम किये जाने का निर्णय

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओ पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये:–

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1 (जोन–12)

विषयः– मैसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा.लि. जरिये विपिन बक्षी की निजी खातेदार संशोधित आवासीय योजना सनसटी के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तो के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. खसरा बाउन्ड्री के बाहर के क्षेत्र को अस्वीकृत किया जाए।
2. योजना में शामिल आवासीय क्षेत्रफल व संस्थानिक क्षेत्रफल जैसे स्कूल हॉस्पीटल व नर्सरी स्कूल व कम्यूनिटी सेन्टर दर्शाए है, को 60 प्रतिशत क्षेत्र में रखा जाए।
3. ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड सी से लगते हुए रास्ते को 60'–0" चौडी सडक के स्थान पर 80'–0" चौडी सडक की जाए।
4. ग्रुप हाउसिंग के तीनों भूखण्डों के क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत (पब्लिक फेसिलिटी जविप्रा क्षेत्र) एक ही स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड में रखा जावे।
5. योजना मानचित्र के भूखण्ड संख्या 77 बी से 84 जे के पूर्व की ओर स्थित 12 मीटर चौडी सडक को 18 मीटर चौडी की जावे।
6. बीपीसी ले–आउट प्लान की 100वीं बैठक दिनांक 21.09.2006 के निर्णय अनुसार "योजना लघुनगर के अनुसार है व एरिया का सेक्टर प्लान नहीं बना है इसलिए 80'–0" व 80'–0" से अधिक चौडी सडक में वाणिज्यिक भू–पट्टी नहीं रखी जावे। इन सडकों का विकास कार्य विकासकर्ता को करना होगा।"

26/3/07

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)

क्रमांक :– जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2007/डी– 148

दिनांक :– 26/3/07

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

26/3/07

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर